भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 181
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

नारी अदालत

***181. श्रीमती लवली आनंद:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत नारी अदालतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

“नारी अदालत” के विषय में श्रीमती लवली आनंद द्वारा पूछे गए दिनांक 01.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं 181 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : नारी अदालत को, 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के तहत प्रायोगिक पहल के रूप में शुरू किया गया है। नारी अदालत पंचायत स्तर पर गठित महिला समूहों के माध्यम से बनाई जाती हैं और प्रत्येक समूह में सात से नौ सदस्य होती हैं जिन्हें न्याय सखी कहा जाता है। इसमें एक मुख्य न्याय सखी होती है जो नारी अदालत के कार्यकलापों का नेतृत्व एवं समन्वय करती है। संबंधित राज्य/जिला नारी अदालत के समग्र प्रबंधन और संचालन के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें इसके सदस्यों की पहचान, चयन तथा नामांकन भी शामिल है। पंचायत अध्यक्ष/सरपंच की अध्यक्षता में एक बैठक की जाती है जिसमें बीडीओ/एसडीएम या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बैठक में ग्राम पंचायत सामाजिक रूप से सम्मानित और कार्य के लिए समर्पित महिलाओं को सदस्य के रूप में चुनती है, जिन्हें न्याय सखी कहा जाता है।

नारी अदालत योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने जैसी सेवाएँ प्रदान करना है। हालाँकि, नारी अदालत कोई औपचारिक अदालत नहीं है, इसलिए किसी भी पीड़ित महिला को अपनी आवश्यकता के अनुसार कानूनी तंत्र का सहारा लेने का अधिकार है। नारी अदालत की बैठकें ग्राम पंचायत कार्यालय, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सामान्य सेवा केंद्रों, आँगनवाड़ी केंद्रों, या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नारी अदालत में लाए गए मामलों के निपटान के उद्देश्य से पाक्षिक आधार पर की जाती हैं। हालाँकि, यदि नारी अदालत की मुखिया आवश्यक समझे, तो किसी भी समय बैठक बुलाई जा सकती है।

यह योजना मांग आधारित है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में असम राज्य एवं जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई है।

नारी अदालत वर्तमान में असम के ग्यारह जिलों नलबाड़ी, दरांग, मोरीगांव, धुबरी, उदालगुड़ी, दक्षिण शालमारा, गोवालपारा, कामरूप, बरपेटा, तामुलपुर और बक्सा की चयनित ग्राम पंचायतों और जम्मू एवं कश्मीर के दो जिलों कुपवाड़ा और बारामूला में कार्यशील है।

*****